

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/22

जयपुर, दिनांक : 08/08/22

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	9/2008	श्री ओम प्रकाश सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय, जयपुर।	30.06.2033	एच-508, गांधीनगर
2.	40/2002	श्रीमती मोहिनी देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्व (उपनिवेशन) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2031	एच-598, गांधीनगर (एच-654, गांधीनगर के स्थान पर)
3.	2/2009	श्री राज कुमार पवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.05.2034	एच-519, गांधीनगर
4.	3/2009	श्रीमती मीना शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	31.08.2025	एच-530, गांधीनगर
5.	5/2009	श्री सुरेश बारी वार्ड ब्याय हरिबक्श कॉवटिया राज. जिला चिकित्सालय, जयपुर	31.8.2029	एच-534, गांधीनगर
6.	28/2017	श्रीमती सरोज कुमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्व (गुप-8) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2040	एच-863, गांधीनगर (एच-891, गांधीनगर के स्थान पर)
7.	8/2009	श्री प्रताप सिंह रावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जयपुर	31.03.2035	एच-536, गांधीनगर
8.	9/2009	श्रीमती शोभा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	30.04.2027	एच-543, गांधीनगर
9.	10/2009	श्री देवनारायण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर	31.05.2040	एच-549, गांधीनगर
10.	39/2017	श्रीमती कान्ता शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2035	एच-891, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) एच-532, गांधीनगर के स्थान पर
11.	11/2009	श्री कैलाश चन्द प्रजापति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला न्यायालय, जयपुर शहर जयपुर	31.8.2036	एच-553, गांधीनगर
12.	12/2009	श्री पप्पू नायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन. स्वा. अभि. विभाग उत्पादन एवं वितरण उत्तर जयपुर	31.8.2039	एच-562, गांधीनगर
13.	1/2010	श्रीमती राधा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन.स्वा.अभि. विभाग नगर उप खण्ड प्रथम (उ) जयपुर	30.6.2033	एच-563, गांधीनगर
14.	44/2017	श्रीमती गीता देवी पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30.4.2042	एच-568, गांधीनगर

		कार्मिक क-3/शिकायत शासन सचिवालय, जयपुर		
15.	2/2010	श्रीमती हेमा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ए.डी.जे. कोर्ट नं. 8 जयपुर	31.01.2033	एच-571, गांधीनगर
16.	3/2010	श्री पूरणमल बैरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उद्यान विभाग, जयपुर	31.07.2032	एच-577, गांधीनगर
17.	4/2010	श्री गोपी राम बाना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, जयपुर	31.10.2035	एच-578, गांधीनगर
18.	46/2017	श्री रमेश कुमार उपाध्याय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक(क-4/वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2028	एच-579, गांधीनगर
19.	7/2010	श्रीमती गीता देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वित्त शाखा पुलिस मुख्यालय जयपुर	29.02.2032	एच-582, गांधीनगर
20.	8/2010	श्री श्रीधर शुक्ला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ए.डी.जे. (म.ख.) जयपुर जिला जयपुर	31.05.2037	एच-586, गांधीनगर
21.	9/2010	श्रीमती विमला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परिवहन विभाग, जयपुर	31.03.2034	एच-862, गांधीनगर
22.	47/2017	श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2035	एच-868, गांधीनगर
23.	10/2010	श्री भवानी सिंह राजावत, बुक लिफ्टर राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर	31.12.2026	एच-589, गांधीनगर
24.	11/2010	श्री देव सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर	31.08.2040	एच-592, गांधीनगर
25.	13/2010	श्रीमती रेखा कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	30.09.2032	एच-651, गांधीनगर
26.	48/2017	श्रीमती दीपिका लुगरिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक(ख-2)विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2052	एच-652, गांधीनगर
27.	14/2010	श्रीमती मनराज शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	31.10.2035	एच-653, गांधीनगर
28.	15/2010	श्री अखिलेश कुमार सिंह सहायक कर्मचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कारागृह, जयपुर	31.05.2033	एच-656, गांधीनगर
29.	16/2010	श्री पूरण मल बुनकर सहायक कर्मचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कारागृह, जयपुर	31.05.2032	एच-659, गांधीनगर
30.	49/2017	श्रीमती रेखा राठौड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयोजना (ग्रुप-4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.04.2045	एच-668, गांधीनगर

31.	19/2010	श्री प्रहलाद दास बैरवा प्रेसमेन कृषि आयुक्तालय जयपुर	30.06.2026	एच-855, गांधीनगर
32.	20/2010	श्री राजेन्द्र सिंह नरुका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर	31.01.2028	एच-857, गांधीनगर
33.	21/2010	श्री सुनील कुमार शर्मा , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारी समितियां जयपुर	30.06.2045	एच-865, गांधीनगर
34.	50 / 2017	श्रीमती कंचन गहलोत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक(क-3/जांच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.05.2029	एच-882, गांधीनगर
35.	22/2010	श्रीमती नन्दा कुमारी सहायक कर्मचारी नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा जयपुर	28.02.2026	एच-885, गांधीनगर
36.	23/2010	श्री कैलाश चन्द गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर	31.10.2036	एच-892, गांधीनगर
37.	24/2010	श्रीमती विजय लक्ष्मी वार्ड मेड सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	30.06.2042	एच-894, गांधीनगर
38.	52 / 2017	श्री रणजीत सिंह राजपूत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-1)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2028	एच-901, गांधीनगर
39.	26/2010	श्री डम्बर बहादुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जल संसाधन विभाग जयपुर	31.12.2026	एच-902, गांधीनगर
40.	31/2010	श्री मनोहर सिंह मशीनमेन राज्य विधि सेवा प्राधिकरण राज. उच्च न्यायालय परिसर जयपुर	31.07.2024	एच-903, गांधीनगर
41.	33/2010	श्री नन्द किशोर सिंह वार्ड ब्वाय पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.01.2025	एच-905, गांधीनगर
42.	53 / 2017	श्री पप्पू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या. विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2046	एच-547, गांधीनगर
43.	1/2011	श्री महेश चंद जाटव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज. राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर	30.06.2033	एच-907 गांधीनगर
44.	2/2011	श्री आजाद कुमार सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भू-प्रबन्ध आयुक्त जयपुर	31.08.2030	एच-908, गांधीनगर
45.	3/2011	श्रीमती जतना देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जनाना अस्पताल जयपुर	31.01.2043	एच-911, गांधीनगर
46.	54 / 2017	श्री रामफूल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक(क-3/जांच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2033	एच-912 गांधीनगर
47.	5/2011	श्रीमती इन्द्रा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30.09.2028	एच-913, गांधीनगर

		वन विभाग जयपुर		
48.	6/2011	श्री कन्हैया लाल गैरोला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर	31.05.2040	एच-914, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, राज्य निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्यालय/उद्यान विभाग/आपदा प्रबंधन एवं सहायक विभाग/कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला न्यायालय, जयपुर शहर, जयपुर /पारिवारिक न्यायालय क्रम-1/ अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट (म.ख.), जयपुर जिला, जयपुर/जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर शहर जयपुर/अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम-8 जयपुर/राज्य विधि सेवा प्राधिकरण राज. उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/हरिबक्श कॉवटिया राज्य. जिला चिकित्सालय/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, /सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जनाना चिकित्सालय, /वन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. उपायुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग /भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कारागृह/राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग/कृषि आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. पंजीयक, सहकारी समिति/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. पुलिस अधीक्षक, वित्त शाखा पुलिस मुख्यालय/नागरिक सुरक्षा एवं गृहरक्षा/सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उत्पादन एवं वितरण उत्तर/नगर उपखण्ड प्रथम (उ), जयपुर/जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
21. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।


 विशिष्ट शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	पिता/पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर